R.N.I. No. : 56386/92 डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल सं./316/2012/2014

ISSN : 0971-6211
Date of Posting 4th-7th
Date of Printing 1st

मासिक

उद्यमिता

वर्ष : 21, अंक : 06
अक्टूबर 2012
कीमत ₹ 25/- मात्र

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से फॉरटम कंपनी के प्रतिनिधियों ने सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा में निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा की।

उद्यमिता विकास केंद्र म.प्र. सेडमैप में उद्योग विभाग के अधिकारियों हेतु कम्प्यूटर आधारित विकासोन्मुखी प्रशिक्षण के समापन अवसर पर उपस्थित अधिकारियों के साथ उद्योग आयुक्त श्री आर.के. चतुर्वेदी एवं सेडमैप के कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी।

उपलब्धि

- डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग पर प्रशिक्षण देगा सेडमैप

सेडमैप समाचार

- अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान जरूरी : उद्योग आयुक्त
- सहरिया आदिवासियों को सेडमैप ने सिखाई ड्राइविंग
- जबलपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- रीवा के ग्रामीणों को कारीगर प्रशिक्षण
- सेडमैप प्रशिक्षित प्रतिभागियों ने किया खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रदर्शन

प्रोजेक्ट प्रोफाइल

- केक-पेस्ट्री निर्माण की इकाई की योजना
- आइसक्रीम कोन निर्माण की इकाई की योजना

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF-EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

भवनों में दीमकों का उपचार क्यों हो जाता है, बेअसर : एक विश्लेषण

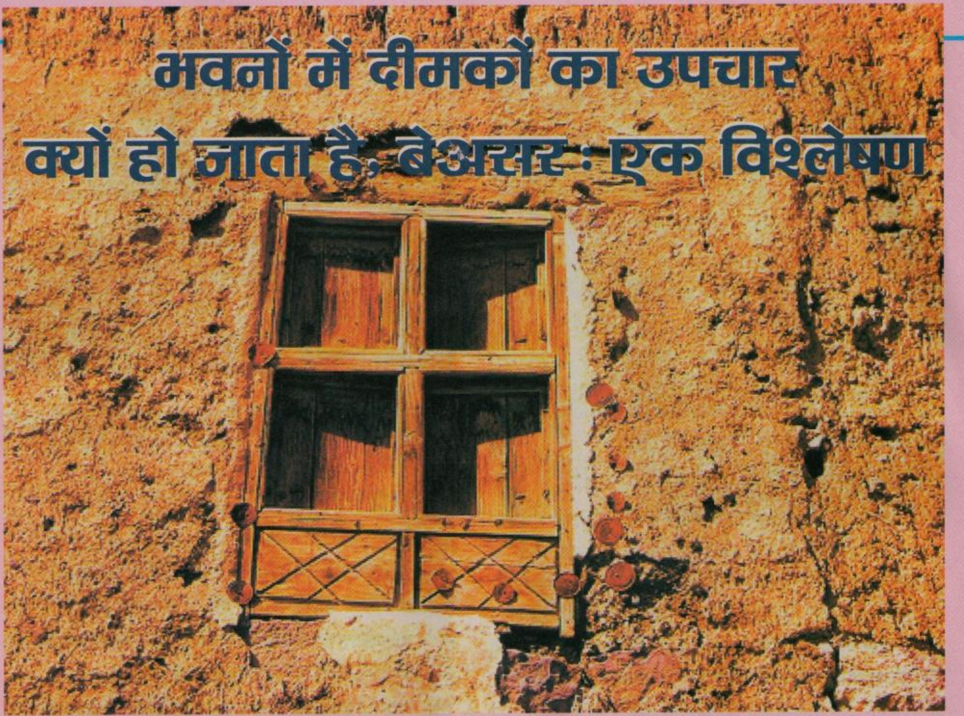

भवनों में किये गए दीमक नियंत्रण के उपायों का बेअसर हो जाना एक आम समस्या है। प्रारम्भ में सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा भी बढ़ा-चढ़ाकर दावे किये जाते हैं, लेकिन उपचारित भवनों में दीमकों का पुनः प्रकोप सारे दावों की पोल खोल कर रख देता है। इसके लिए मात्र सेवा प्रदाता कम्पनी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि इसके अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रस्तुत लेख में सुधी पाठकों की जानकारी हेतु उन्हीं सब कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है, ताकि उनको दीमक नियंत्रण से संबंधित दीर्घकालिक लाभ मिल सकें।

दीमक मृदा में रहने वाला, चींटी सदृश्य एक सूक्ष्म व सामाजिक कीट है। इसकी लगभग 2800 प्रजातियां, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर विश्व के लगभग 70 प्रतिशत भूभाग में पायी जाती हैं। हिन्दी में इसको दीमक, राजस्थानी में उदैइ, बंगला भाषा में उली तथा संस्कृत भाषा में काष्ठ हारिका कहते हैं। मनुष्य से इसका सम्बन्ध अनादिकाल से रहा है। भारत के पुरातन धर्म शास्त्रों- ऋग्वेद तथा रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है, कहा जाता है, कि महर्षि वाल्मीकि का नामकरण भी दीमक के कारण ही हुआ, क्योंकि उनकी साधना के दौरान दीमकों ने उनके शरीर पर अपना घर बना लिया था। दीमक को एक विनाशक जीव की भी संज्ञा दी गयी है, क्योंकि यह विश्वभर में कृषि, फसलों तथा बागवानी आदि से लेकर सभी प्रकार के भवनों को भयंकर क्षति पहुंचाता है, यह कागज, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, फोम, रबड़, नाइलान यहां तक कि मुलायम धातुएं जैसे कि लैड, कॉपर आदि को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका जैसा विकसित देश भी इसके उपचार पर 1.1 बिलियन डालर प्रतिवर्ष से अधिक की धनराशि खर्च करता है।

दीमक नियंत्रण विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है, कि भारत में किया जाने वाला यह विशेष कार्य अधिकतर विषैले कीटनाशकों पर आधारित है। इसके लिए भारतीय मानक संख्या - IS : 6313 (2001) में दो कीटनाशकों - क्लोरपायरीफास-20 ई.सी. तथा लिंडेन-20 ई.सी. के प्रयोग का अनुमोदन किया गया है। (1-4) प्रायः देखने में आता है, कि भवनों में किये गये दीमक नियंत्रण के उपाय उतने कारगर नहीं होते हैं, जितनी कि अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी उपचार के उपरान्त, पहली वर्षा के दौरान ही दीमक

फिर से दिखाई देने लगती हैं। भवनों में किये गये दीमक नियंत्रण के उपायों के फेल हो जाने के कई कारण हो सकते हैं-

उच्च क्वालिटी के कीटनाशकों से परहेज करना :

बाजार में एक ही सक्रिय तत्व वाले कई-कई ब्रांड के कीटनाशक उपलब्ध होते हैं, जिनमें लोकल कीटनाशकों से लेकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद तक सम्मिलित हैं तथा जिनके खुदरा मूल्यों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अधिक मुनाफे हेतु सस्ती व निम्न स्तर की दवा का प्रयोग करने पर भवन स्वामी को पुनः दीमक का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर बाजार में क्लोरपायरीफास सक्रिय तत्व वाले 50 से ज्यादा ब्रांड मौजूद हैं, अतः अच्छे व दीर्घकालिक परिणामों के लिए सही कीटनाशक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। (1-4)

दीमक नाशक दवा की उपयुक्त सांद्रता का घोल ना बनाना:

जिन भवनों में दीमक नियंत्रण के उपाय बेअसर हो जाते हैं, उनके अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है, कि उनमें मानक के अनुसार कीटनाशक की उचित सांद्रता के घोल का प्रयोग नहीं किया गया था। एक बार कीटनाशक का घोल बन जाने के बाद, किसी भी स्थिति में कार्यस्थल पर ये बताना असंभव होता है, कि घोल बनाने के लिए कितने पानी में कीटनाशक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, उपरोक्त मानक के अनुसार, क्लोरपायरीफास-20 ई.सी. अथवा लिंडेन-20 ई.सी. कीटनाशक का 1.0 प्रतिशत सांद्रता का 20 लीटर मात्रा का घोल बनाने के लिए 19 लीटर पानी में एक लीटर कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित सांद्रता से कम सांद्रता के घोल का प्रयोग करने पर मृदा में दवा का प्रभाव शीघ्र समाप्त हो जाता है तथा उपचारित भवन में दीमक के पुनः संक्रमण की पूरी-पूरी संभावना रहती है। (1-4)

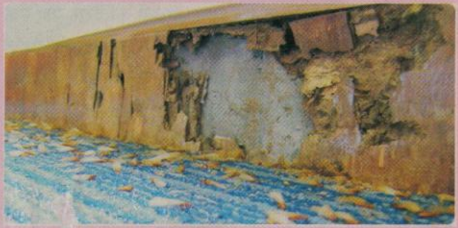

उचित सेवा प्रदाता कम्पनी को प्राथमिकता नहीं देना :

सेवा प्रदाता का शिक्षित, प्रशिक्षित व लाइसेंस धारक नहीं होना भी भवनों में दीमकों के पुनः संक्रमण का एक बड़ा कारण होता है। ऐसे में वह ना तो उचित दवा का चुनाव कर पाता है, और ना ही मानक का पालन कर पाता है। परिणामस्वरूप भवन को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।

सेवा प्रदाता द्वारा मानक के अनुपालन में कमी :

पूर्व निर्मित भवनों में दीमक नियंत्रण कार्य के दौरान, फर्श तथा दीवालों के संधी स्थल पर (at the junction of floor and walls) किये जाने वाले छिद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानक के अनुसार 45^{0} के कोण पर, 1-1 फिट के अंतराल पर, कम से कम 19 मिमी. व्यास तथा 300-350 मिमी. गहराई वाले छिद्र किये जाने चाहिए तथा उनमें कीटनाशक के घोल का एक लीटर प्रति छिद्र के हिसाब से डालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भवन में कैमिकल बैरियर रूपी सुरक्षा चक्र ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है। इसी प्रकार, मानक के अनुसार भवन में लगे हुए लकड़ी के खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, फ्रेम, कबर्ड आदि के उपचार हेतु कीटनाशक का घोल बनाने के लिए, 1.0 प्रतिशत सांद्रता के घोल को मिट्टी के तेल, तारपीन के तेल या डीजल में बनाकर प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के साथ कीटनाशक का घोल लकड़ी के रेशों में भीतर तक प्रवेश कर लकड़ी को सुरक्षित बना देता है, तथा कीटनाशक का असर भी दीर्घकालिक रहता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है, और पानी के घोल का प्रयोग किया जाता है, तो पानी से लकड़ी खराब हो जाती है। नमी के कारण भवन में दीमक भी शीघ्र आ सकती है। (1-4)

डी.पी.सी. (Damp Proof Concrete) को यदि टी.पी.सी. (Termit Proof Concrte) भी कहा जाय तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह दीमक हेतु बैरियर का कार्य भी करती है। इस प्रकार बने बैरियर द्वारा दीमक तब तक भवन में प्रवेश नहीं कर सकती,

जब तक कि उसमें दरारें ना पड़ जायें। भवनों की दरारें यदि एक इंच के चौसठवें भाग के बराबर मोटाई की भी हों, तो भी दीमक उनके द्वारा आसानी से भवन में प्रवेश कर सकती है। अतः जिन भवनों में डी.पी.सी. नहीं होता है, उनमें दीमक के प्रकोप की संभावना अधिक होती है। मानक में स्पष्ट तौर पर बताया गया है, कि मैसनरी फाउंडेशन बनाते समय बाहरी ओर से मिट्टी के भराव के समय, उर्ध्वाधर सतह पर 7.5 लीटर/मीटर^2 की दर से, प्लिंथ लेवल तक भराव के बाद, सतह पर 5 लीटर/मीटर^2 की दर से, ऐप्रन के नीचे 5 लीटर/मीटर^2 की दर से, रिटेनिंग वाल तथा बेसमेंट वाल का उपचार 7.5 लीटर/मीटर^2 की दर से, रिटेनिंग वाल तथा बेसमेंट वाल का उपचार 7.5 लीटर/मीटर^2 की दर से, एक्सपेंसन, जोइंट्स का उपचार 2 लीटर/रनिंग मीटर की दर से, आर.सी.सी. फाउन्डेशन तथा बेसमेंट में फाउन्डेशन से लगती हुई मृदा का उपचार 7.5 लीटर/मीटर^2 की दर से कीटनाशक की उचित सांद्रता के घोल द्वारा किया जाना चाहिए। यदि प्लाट में पहले से दीमक की बांबी हो तो उसके उपचार के लिए बांबी के वाल्यूम की गणना के अनुसार कीटनाशक का घोल डाला जाना चाहिए, उदाहरणार्थ यदि बांबी का वाल्यूम 1 मीटर^3 हो तो 4 लीटर घोल की मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण से पूर्व, तैयार प्लाट से सैलुलोजिक पदार्थों का निष्पादन ना करना, पेड़ों की जड़ों की अपरुटिंग नहीं करना, निर्माण के दौरान तीन चरणों में किये जाने वाले दीमक नियंत्रण के कार्य को दो चरणों में ही पूरा कर लेना

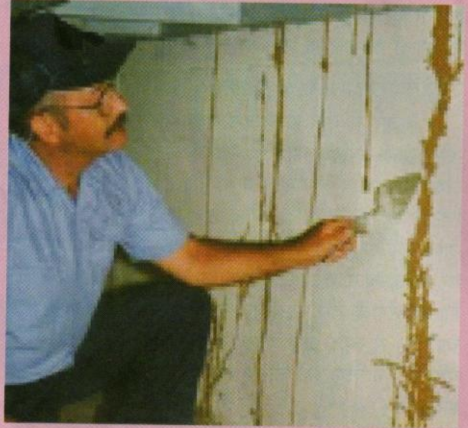

आदि भी भवनों में दीमक नियंत्रण के उपायों को बेअसर कर सकता है। (1-4)

संयुक्त भवन के एक भाग में दीमक का उपचार करना:

प्रायः ऐसा भी देखने में आता है, कि कभी-कभी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संयुक्त भवनों के केवल एक भाग में ही दीमक नियंत्रण का कार्य किया जाता है, ऐसी स्थिति में कितना भी अच्छा दीमक का उपचार कर लिया जाये, फिर भी भवन के अनुपचारिक भाग से दीमक के प्रवेश करने की संभावना हमेशा बनी रहती है।

निम्न स्तरीय मशीनों व उपकरणों का प्रयोग :

निम्न स्तरीय मशीनों व उपकरणों का प्रयोग करना भी कभी-कभी परेशानी का कारण बन सकता है। ड्रिलिंग मशीन का बिट निर्धारित लम्बाई से छोटा व निम्न स्तर का होने से मार्बल, ग्रेनाईट तथा अन्य कठोर पत्थर से बने फर्श पर ड्रिलर करना कठिन होता है, कई बार ड्रिलिंग मशीन के स्थान पर हथौड़ा-छेनी की सहायता से छिद्र करने से दवा मृदा में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत आपरेटेड पावर स्प्रेयर के स्थान पर हस्तचालित या पादचालित स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्प्रे की गयी सतह में एकरूपता नहीं रहती है। अतः किये गये कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

वर्षाकाल में दीमक नियंत्रण के कार्य करना :

नियमानुसार, वर्षाकाल में दीमक नियंत्रण के कार्य नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उन दिनों में मृदा में पानी की मात्रा

ज्यादा होती हैं, मृदा में कीटनाशक दवा के घोल का आवश्यक अवशोषण नहीं हो पाता है। स्प्रे की गयी सतह में विषाक्तता लंबे समय तक बनी रहती है, जो कि जीवधारियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है तथा पानी में घुलकर भूजल को भी प्रदूषित कर सकती है।

प्लाट का निचले क्षेत्र में होना :

ऐसे भवनों में जो साधारण भू-सतह से निचले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, वहां भवन के आस-पास वर्षाकाल के बाद काफी समय तक पानी भरा रहता है, जो कि कीटनाशक दवा के प्रभाव को बेअसर करता है।

भवनों में दीमक नियंत्रण उपायों के बेअसर हो जाने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे- भवनों में लीकेज की समस्या, नमीं का लगातार बने रहना, दरारों का होना, भवन स्वामियों द्वारा दीमक नियंत्रण का कार्य स्वयं करना व सेवा प्रदाता कम्पनी के कार्य में हस्तक्षेप करना, कम्पनी से किये गये कार्य की गारंटी ना मांगना, प्रशिक्षित श्रमिकों के स्थान पर लोकल व अप्रशिक्षित श्रमिकों से कार्य लेना आदि।

उपरोक्त विश्लेषण कीटनाशकों द्वारा भवनों में किये गये दीमक के उपचार पर आधारित है। विदेशों में तो कीटनाशकों के कई विकल्प भी उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को अन्य अधिक सुरक्षित विकल्पों जैसे- बायो टर्मीटीसाईड (5), फिजिकल बैरियर (6) तथा बैटिंग सिस्टम (7) आदि के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। भवनों में दीमक नियंत्रण का कार्य कुशल प्रोफेशनल के द्वारा ही किया जाना चाहिए, फिर भी विषय की जागरूकता उपभोक्ताओं को ना केवल कीटनाशकों के विषैले प्रभाव से बचा सकती है, बल्कि उनका घर भी दीमकों से लम्बे समय तक सुरक्षित रह सकेगा। कीटनाशकों का बे हिसाब प्रयोग हमें अनेक रोग देकर बीमार तो बनाता ही है, साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है (8-9) अतः इस ओर सरकार तथा नीति-निर्धारकों के ध्यानाकर्षण की अत्यंत आवश्यकता है।

❑ **डॉ. बी.एस. रावत**
रुड़की, हरिद्वार

स्वागत करता मध्यप्रदेश

दिल के दरवाजे को खोलकर।
खड़ा है मध्यप्रदेश।।
आओ उद्यमशील मनुज जन।
आकर करो निवेश।। स्वागत करता मध्यप्रदेश
वन, कृषि, खनिज, संपदा भारी।
शासन की पूरी तैयारी।।
करें उद्योग से श्रीगणेश।
स्वागत करता मध्यप्रदेश।। 2
विद्युत, जल, भूमि, यहां सुलभ है।
शान्ति, सौहार्द्र यहां दौलत है।।
इंसान हम सब नेक।
स्वागत करता मध्यप्रदेश।। 3
आयें स्वदेशी, आयें विदेशी।
नहीं किसी से द्वेष।।
सबका अपना मध्यप्रदेश।
स्वागत करता मध्यप्रदेश।। 4
ढेरों छूट, पायें सुविधायें।
आओ निज उद्योग लगायें।।
इंदौर इन्वेस्टर मीट में आयें।
सुंदर अवसर लाभ उठायें।।
सुने मेरा संदेश, स्वागत करता मध्यप्रदेश।। 5

❑ **एस.के. शर्मा 'निर्मल'**
प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंडला

आज ही सदस्य बनें और उद्यमिता मैगजीन घर बैठे पायें
अधिक जानकारी के लिये पेज चार पर छपा सदस्यता फार्म देखें और तुरंत लिखें।